

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/ ५२16५

जयपुर,दिनांक: 13/05/20

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट अधिसूचना क्रमांक 39376 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक प्रदान की गई थी। उक्त छूट को एतद् द्वारा दिनांक 30.09.2020 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा, एवं जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(उज्जवल राठी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/ ५२165- ५२ 569
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 13/05/2020

1. विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए राजस्थान।
4. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए राजस्थान।
5. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान।
7. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
8. नोडल अधिकारी मॉनेटरीग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु एवं गजट हेतु अपलोड करने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी